राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

दिनांक : 05.06.2021

सं0फा0 .1(571)/डीडीएमए (मुख्यालय)/ विविध मामले/कोविड/21/433

आदेश

1. जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

2. और जबकि, कोविड समर्पित सुविधाओं में कार्यरत स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) जैसे डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा सहायक (पैरमेडिक्स) स्टाफ और सहयोगी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में कोविड–19 वारयस के प्रसार की संभावना को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 27.4.2021 को एक आदेश जारी किया, जिसमें कोविड समर्पित सरकारी अस्पतालों में कार्यरत ऐसे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए आवास की सुविधा होटलों/धर्मशालाओं में दी गई। इन होटलों और धर्मशालाओं का भुगतान संबंधित अस्पतालों द्वारा डीएचएचएम के ईसीआरएफ निधि या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बजट से किया जाना है।

3. और जबकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिट याचिका 3031/2020 में और संबंधित मामले शीर्षक राकेश मल्होत्रा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य के मामले में अपने दिनांक 20.5.2021 के आदेशानुसार इच्छा व्यक्त की है कि 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधीन एक आदेश जारी करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने दे, ताकि निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम और जो धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, में सेवारत स्वास्थ्य कर्मियों को स्वैच्छिक आधार पर ऐसी सुविधाएं वैकल्पिक रूप से उपलब्ध कराई जा सके, क्योंकि ये फ्रंटलाईन कर्मी संक्रमण को अपने घर ले जा सकते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को संक्रमित कर सकते हैं।

4. अब इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य कार्यकारिणी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी एतद् द्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कोविड रोगियों का उपचार कर रहे, सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और धर्मार्थ अस्पताल अपने डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा सहायक (पैरमेडिक्स) स्टाफ और सहयोगी कर्मचारी जैसे मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) को स्वैच्छिक आधार पर होटलों/धर्मशालाओं में ठहरने और भोजन व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि फ्रंटलाईन अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार के सदस्यों को कोविड–19 वायरस के प्रसार की संभावना को कम किया जा सके। कोविड रोगियों का उपचार कर रहे सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और धर्मार्थ अस्पताल आवश्यकताओं का आकलन कर सकते हैं तथा अपने स्तर पर चिन्हित और

उपयुक्त होटल/धर्मशाला के साथ आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं और इस पर होने वाला खर्च/व्यय सीधे संबंधित अस्पताल द्वारा वहन किया जाएगा।

5. प्रधान सचिव (स्वा0 एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, निदेशक, डीजीएचएस, जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली और अन्य सभी संबंधित प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड रोगियों का उपचार कर रहे, सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और धर्मार्थ अस्पताल अक्षरशः इस आदेश का सख्ती से पालन करे।

6. यदि कोई व्यक्ति पूर्वोक्त निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो दोषी व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188, महामारी अधिनियम, 1897 के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

**हस्ता0/**
**(विजय देव)**
**मुख्य सचिव, दिल्ली**

**प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–**

1. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
3. निदेशक, डीजीएचएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निदेशक, डीजीएचएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड–19 के रोगियों का उपचार करने वाले समस्त निजी अस्पताल, नर्सिंग होम एवं धर्मार्थ (चैरिटेबल) अस्पताल।

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–**

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
13. प्रधान सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
14 पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
15. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
16. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।

17. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
18. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त कार्यालय, दिल्ली, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
19. गार्ड फाइल।